च्चा कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण,ग्वालियर (म0प्र0)

विज्ञापन क. 2367

दिनांक 12.04.2016

//विज्ञप्ति-छष्टम//

//ग्वालियर विकास प्राधिकरण को गाँधी रोड़ योजना 5 में भाऊसाहब पातनीस एन्क्लेव फेज—2 में एच.आई.जी./एम.आई.जी . ईकाई हेतु पंजीयन//

ग्वालियर विकास प्राधिकरण की योजना गाँधी रोड़ योजना 5 में (भाऊसाहब पेातनीस एन्क्लेव फेज—2) के अन्तर्गत एच.आई.जी. / एम.आई.जी. ईकाईयों (फ्लेट्स) के पंजीयन हेतु प्रस्ताव निम्नलिखित तालिका अनुसार आमंत्रित किये जाते है —

अनु. कमांक	इकाई का विवरण	क्षेत्रफल वर्ग मी. में (विल्टप क्षेत्रफल)	आरक्षण का वर्ग तथा आरक्षित किये गये ईकाईयों की संख्या	नियत मूल्य (प्रावधिक)	रजिस्ट्री करण प्रभार	वार्षिक पट्टा भाड़ा
1	2	3	4	5	6	7
1	3-BHK HIG Flats कुल संख्या — 32	102.94	अनारक्षित—32	39,60,000 / —	यथानियम	यथानियम
2	2-BHK Flats (Type-I) कुल संख्या—47	74.99	अनारक्षित—43	28,60,000 / -	यथानियम	यथानियम

उपरोक्त सम्पित्तियों के रिजस्ट्रीकरण हेतु प्रपत्र कोटक महेन्द्रा बैंक सिटीसेंटर, ग्वालियर की विभिन्न शाखाओं से विहित राशि रूपये 1000/— का बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /नगद राशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते है अथवा प्रपत्र को ऑनलाईन द्वारा प्राधिकरण की बेबसाईट www.gdagwalior.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जिसका रू. 1000/— का बैंक ड्राफ्ट आवेदन प्रपत्र के साथ पृथक से देय होगा। उपरोक्त रिजस्ट्रीकरण की तारीख 12-04-2016 से 30-06-2016 को अपरान्ह 5.00 बजे तक निर्धारित की गई है। रिजस्ट्रीकरण हेतु निबंधन तथा शर्ते, प्रपत्र में दर्शाई गई है, तथा प्राधिकरण की बेबसाईट पर भी अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यदिवस के सांय 4.00 बजे खोले जाएगें।

नोट:-

1— पंजीयन राशि नियत मूल्य का 10 प्रतिशत डी.डी. / बैकर्स चैक द्वारा जोकि **मूख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण (C.E.O., G.D.A. Gwalior)** के नाम देय होगा, आवेदन के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।

2—उपलब्ध संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन लॉटरी पद्धति से प्राधिकरण कार्यालय में किया जावेगा। जिसमें आवेदनकर्ता उपस्थित रह सकते है।

> मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर

कमांक / भा0सा0पो0—2 / सम्पदा / 2015 / प्रतिलिपिः—

ग्वालियर, दिनांक

- 1- निज सचिव मान. अध्यक्ष ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 2- निज सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ।
- 3— लेखा अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ।
- 4— जनसम्पर्क अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की और व्ययन नियम —2013 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड करने हेतु
- 5— साईट इंचार्ज **भाऊसाहब पातनीस एन्क्लेव फेज-2** याजना की ओर सूचनार्थ।
- 6— कार्यालय किमश्नर ग्वालियर /कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर /कार्यालय किमश्नर नगर निगम /तहसीलदार, तहसील कार्यालय ग्वालियर की आर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने की कृपा करें।
- 7- कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेत्।
- 8- प्रबंधक महेन्द्रा बैंक सिटीसेंटर ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9— श्री भास्कर राव काले , प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर अपलोड कराकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर

11416

प्ररूप–ट

(नियम 8 (2) (छह) देखिए)

आवेदन क्रमांक

			श्रेणी						
संलग्न	किये जाने वाले दस्तावेज :								
1.	विधिवत रूप से भरा गया आवेदन	न पत्र							
2.	छायाचित्र (फोटोग्राफ)								
3.	शपथ-पत्र (Affidavit)								
4.	आय प्रमाण पत्र (Income Certifi	ate)							
5.	आरक्षण के संबंध में प्रमाण–पत्र,		गू हो (सत्यप्रतिलिपि में)						
	ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर								
	स्कीम क्रमांक गांधी रोड योजना क. 5 भाऊसाहब पोतनीस इन्क्लेव फेज—2 में लॉटरी पद्धति द्वारा 3BHK/2BHK-I Type इकाइयों हेतु आवेदन प्रपत्र								
विज्ञापन क्रमांक 2367									
			दिनांक 12-04-2016						
			आवेदन प्रपत्र क्रमांक						
			मूल्य 1000 / — रूपये						
			अहस्तान्तरणीय (Non Transferable).						
प्रति,									
	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण								
	ग्वालियर (मध्य प्रदेश)								
	ज्यालयर (नव्य प्रदरा)								
			आवेदक का						
			पासपोर्ट आकार का छाया चित्र यहां						
			चिपकाया जाए						
,									
महोदय,									
	निवेदन है कि विनापन कमांक	2367	दिनांक 12-04-2016 के आधार पर मुझे पट्टे पर निम्न						
भखण्ड	/ईकाई आवंटित करने का कष्ट	2007 करें। अप	विश्वत जानकारी निम्नानुसार भर कर प्रस्तुत की जा रही है।						
1.	आवेदक का नाम	:							
2.	पिता / पति का नाम	:							
3.	आवेदक की आयु	:							
4.	पूरा पता	:							
			दूरभाष / मोबाईल (कार्यालय)						
			(निवास)						
5.	कुल मासिक आय रूपये		:						
6.	यदि नियोजित हो. तो नियोजक	का नाम	:						
٠.									

3

7.	सेवा की अवधि	:	
8.	यदि निजी व्यवसाय	:	
	में हैं, तो उसका ब्यौरा दृ	रभाष क्र. निवास	दूरभाष (कार्यालय)
	मो.नं		
9.	निबंधन तथा शर्तो के अनुसार	;	
	शपथ पत्र संलग्न है		
10.	आवेदन-प्रपत्र डाउनलोड करने की दश	। में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक क्र.	
	दिनांकबैंक का नाम		राशि
11.	मैं आश्वासन देता/देती हूं कि यवि	रे मेरा आवेदन प्रपत्र स्वीकार	र कर लिया जाता है तो में
	भूखण्ड / इकाई की बकाया अधिमूल्य (प्रीमियम) का भुगतान निर्धारित	समय पर जमा कर दूंगा/दूंरी
	तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा भुगतान तिथि	को नियमित रूप से समय पर र	जमा कर दूंगा/दूंगी।
12.	मैं आश्वासन देता/देती हूं कि मैं नियमों/विनियमों का पालन करूंगा/क		, समय—समय पर बनाये गरे
13.	मैंने प्राधिकरण के भूखण्ड / इकाई के अ तथा ये मुझे स्वीकार है।	ावंटन से संबंधित निबंधन, शर्तो	तथा नियमों को समझ लिया है
14.	यदि आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत की गई आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा ज होगा।		
अनुलग		V	a (a
1.	आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने की दशा दिनांक बैंक का नाम		बैकर्स चैक क
2.	पंजीयन हेतु ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक क्रमांक		पये
3.	निबंधन तथा शर्तो की हस्ताक्षरित प्रति		
4. 5.	शपथ–पत्र आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)		
6.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ज उपरोक्त में जो लागू नहीं हो उसे काट		तेलिपि (यदि आवश्यक हो)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

नियत दर पर सम्पत्तियों के व्ययन संबंधी निबंधन तथा शर्ते (Terms and Conditions for Disposal of Properties on Fixed Rate)

- 1. सामान्य शर्ते (General Terms)
- 1. व्ययन के लिए उपलब्ध सम्पित्तयों (परिसम्पित्तयों) से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर भूखण्डों / इकाईयों को लाटरी के आहरण अनुसार आवंटित किया जाएगा।
- 2. सम्पत्ति के आवंटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्रपत्र विहित प्ररूप में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रपत्र विज्ञापन में उल्लेखित समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 3. विज्ञापन के अधीन भूखण्डो / इकाइया क कमांक का आवंटन लॉटरी द्वारा संपन्न किया जाएगा।
- 4. एक परिवार (जिसमें पित / पत्नी / अवयस्क बच्चे हो) से केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि पित तथा पत्नी में से केवल एक को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। इस निबंधन तथा शर्त के किसी उल्लघंन किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त आवेदनों को निरस्त किया जा सकेगा।
- 5. सम्पत्ति के लिए आवेदक को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके / उनके द्वारा प्राधिकरण की किसी योजना के अंतर्गत इससे पूर्व नियत दर पर कोई भूखण्ड / इकाई की प्राप्ति नहीं की गई है।
- 6. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा में उसे इस बारे में प्राधिकरण को लिखित में सूचना उपलब्ध करानी होगी।
- 7. यदि कोई अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन हेतु नियत अन्तिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा जमा की गई राशि में से दस प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात आवेदक को शेष राशि लौटा दी जाएगी। पंजीयन स्वीकार किये जाने हेतु लॉटरी का आहरण किये जाने की प्रक्रिया के बाद सम्पत्ति का प्रावधिक आवंटन हो जाने पर, आवेदन के साथ जमा पंजीयन राशि वापस नहीं की जाएगी तथा जमा की गई राशि को समपहृत कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दो भुगतान की शर्ते (Payment Terms)

- 1— सफल आवेदक के पंजीयन की स्वीकृति के बाद बकाया किश्तों के मांग पत्र में उल्लेखित समय—सीमा में निर्धारित किश्तों की राशि जमा करानी होगी।
- 2— आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य (प्रीमियम) की राशि तथा एक वर्ष का लीजरेंट जमा करने के पश्चात ही उसे आवंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जाएगा।
- 3— जहां सफल आवेदनकर्ता विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपरोक्तानुसार संदाय करने में असफल रहता है वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा पंजीयन राशि रकम को समपहृत कर सकेगा। जब तक कि प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में उक्त समय सीमा में वृद्वि नहीं की गई हो।
- 4—. पट्टाधारी (Lessee) अथवा हस्तांतरिती (Transferee) सरकार, नगर पालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी कानूनी निकाय द्वारा उदग्रहीत समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तारीख से आधिपत्य को विचार में लिए बिना भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।

- 6— किसी किस्त के भुगतान में विलम्ब होने पर आवंटिती को 5 प्रतिशत की दर से दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना होगा, जो उपरोक्त बिन्दु 5 में विनिदिष्ट किये गये 7 प्रतिशत की ब्याज दर के अतिरिक्त होगा। यदि किसी किस्त के भुगतान में की गई चूक 6 माह से अधिक की अवधि हेतु जारी रहती हो, तो प्राधिकरण को आवंटन प्रतिसंहरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तथापि, अदायगी अनुसूची के प्रत्येक उल्लघंन पर प्राधिकरण निरस्तीकरण के बदले में रू. 10000/— का अर्थदण्ड वसूल किये जा रहे ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज भुगतान के अतिरिक्त अधिरोपित कर सकेगा।
- 7— यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में सम्पत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम या अधिक पाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिम्ल्य (प्रीमियम) रकम तथा वार्षिक पट्टा भाड़ा आनुपातिक रूप से कम या अधिक किया जाएगा।
- 8— सम्पत्ति का आवंटन किये जाने पर यदि प्राधिकरण सम्पत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असमर्थ रहता है तो प्राधिकरण द्वारा जमा रकम की वापसी सात प्रतिशत की ब्याज दर के साथ की जाएगी।

तीन— सम्पत्ति को पट्टे पर प्रदान करने संबंधी निबंधन (Terms for Lease Property)

- 1. सम्पित्त पट्टा आधार पर (Lease Basis) 30 वर्षों की अविध के लिये प्रदान किया जाएगा (जब तक अन्यथा सरकारी सम्पित्तयों की दशा में ऐसी सम्पित्तयों के लिये जो प्राधिकरण के अंतर्गत निहित हो या जिनका प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य / विशेष स्वीकृति के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पित्त के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही है) जिनकी कालाविधयों का विस्तार 30 वर्षों की दो अतिरिक्त अविधयों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रत्येक नवीनीकरण के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाड़ा के 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
- 2. सम्पत्ति का वार्षिक पट्टा भाड़ा प्रभारित अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का 0.1 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।
- 3. सम्पत्ति के लिए निर्धारित वार्षिक पट्टा भाड़े का भुगतान प्रति वर्ष अग्रिम रूप से देय होगा तथा प्रति वर्ष एक जून को या इससे पूर्व किया जाएगा। प्रथम वाषिक पट्टा भाड़ा उस वित्तीय वर्ष, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसुचित की गई हो, एक जून से देय होगा।
- 4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाड़ा रकम का भुगतान नियत तारीख से तीन माह से अधिक की अविध हेतु लिम्बत रहता ह, वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाडा रकम की वसूली की प्रक्रिया भू राजस्व की बकाया रकम (Arrears of Land Revenue) के रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
- 5. सम्पत्ति का आधिपत्य "जैसा है जहां है" के आधार पर सौंपा जाएगा (जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया हो) तथा प्राधिकरण, भूमि/भूखण्ड पर किसी भराई (filling)/समतलन (levelling) के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- 6. आवंटिती को सम्पत्ति का आधिपत्य, अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाड़ा राशि का पूर्ण भुगतान के बाद ही सोंपा जाएगा (जब तक इस बारे में नियम 13 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन द्वारा सम्पत्ति आवंटन के लिए विशेष स्थितियों में विशिष्ट उपबंध न कर दिया गया हो, जिससे प्राधिकरण द्वारा अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया हो)।
- 7. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी (Estate Officer) द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तिथि तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति का पट्टा उक्त अधिस्चित तिथि से तथ्य पर विचार किए बिना प्रांरभ हो जाएगा चाहे आवंटिती द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य किया गया हो अथवा नहीं।

- 8. अधिमूल्य (प्रीमियम) रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाड़ा की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात् प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किये गये निदर्शन पत्र के अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा विलेख (Lease Deed) / दस्तावेज तैयार किया जायेगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से तीन माह के भीतर पट्टाधारी (Lease) अनिवार्यतः रिजस्ट्रार (Registrar) के कार्यालय से पट्टे को रिजस्ट्रीकृत कराना होगा। पट्टाधारी को पट्टा अभिलेख के रिजस्ट्रीकरण से संबंद्ध समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी पट्टे के रिजस्ट्रीकरण से तीस दिन के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 9. पट्टाधारक, पट्टे की शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण से अनापित्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंतरण शुल्क की राशि जमा करना होगी, जो अंतरण हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन तिथि को प्रचलित प्रयोज्य मार्गदर्शक दर के 0.5 प्रतिशत होगी। जहां अतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यायगमन (natural devolution of heirship) के अनुक्रम में चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।
- 10. पट्टाधारी, को पट्टा विलेख के पंजीयन उपरांत प्राधिकरण से अनुमित प्राप्त कर ऋण की प्राप्ति हेतु इकाई को बंधक (mortgage) रखने का अधिकार होगा।
- 11. पट्टाधारी जो सम्पत्ति के पुनर्मापन (re-measurement) का इच्छुक है उसे प्राधिकरण को रू. 1000 / अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
- 12. ऐसे प्रकरण में जहां पट्टाधारी पट्टा विलेख की किसी शर्त का उल्लघंन करता हो, वहां प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के पट्टे को रदद किया जा सकेगा। पट्टे के रद्दकरण के पश्चात् प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनः प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

चार— आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास तथा भवन निर्माण विनियम (Development and Building Regulations for Allotted Properties)

- 1. आवंटित की गई सम्पत्ति के बारे में इसके अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन का अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा। कोई भी निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, को अनाधिकृत कार्य माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लघंन माना जाकर, तद्नुसार संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की पहल की जाएगी।
- 2. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके अभिहित उपयोग से अन्यथा किया जाता है और / या कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शें का उल्लघंन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न किया जाता है तो प्राधिकरण को आवंटन / पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में पट्टाधारी को किसी कानूनी अथवा कोई सरकारी अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।
- उत्तरदाधी सेवा संबंधी आवश्यक अनुमितयों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों / प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगरपालिकिनगम / नगरपालिक पिरषद् अथवा सेवाप्रदाय हेतु अन्य किसी संस्था के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जल प्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित न होगा। ऐसे प्रकरण में जहां आवंटित सम्पित्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगर पालिक निगम / नगर पालिक परिषद के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल की सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
- 4. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

पांच- आवंटन का अन्तरण (Transfer of Allotment)

संपत्ति के आवंटन का अंतरण सम्पत्ति आवंटन तारीख से छह माह की अवधि के समाप्त होने के पश्चात ही किया जा सकता है आरक्षित श्रेणी के अधीन आवंटित की गई सम्पत्तियों के बारे में अन्तरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण की उसी श्रेणी के अतर्गत इसे धारित करने की पात्रता रखता हो जिस हेतु सम्पत्ति को पूर्व में आवंटित किया गया हो। अन्तरण शुल्क का भुगतान अधिमूल्य (प्रीमियम) अथवा अन्तरण तारीख को प्रचलित लागू कलेक्टर गाइड लाइन दर (applicable guideline rate) की एक प्रतिशत की दर से इनमें से जो भी अधिक हो, भुगतान योग्य होगा।

छह- अन्य निबंधन तथा शर्ते (other Terms and Conditions)

- 1. यदि बोली से संबंधित निबंधन तथा शर्तो में तथा "मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पित्तयों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013" के अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों / कानूनी उपबन्धों में विसंगति उदभूत होती है तो अंतिम उल्लेखित उपबंध अभिभावी रहेंगे और पट्टाधारी पर बाध्यकारी होंगे।
- 2. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबंधन तथा शर्तो का विशदीकरण तत्संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां सम्पत्ति के प्राप्तकर्ता के लिये इन शर्तो के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्ते भी बाध्यकारी होंगी।
- 3. निबंधन तथा शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
- 4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण (Authority)" का उपयोग किया गया हो वहां इसके प्रतिनिधि, नाम निर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती (permitted assignees) भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द "पट्टाधारी (Lessee)" का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।
- 5. पंजीयन राशि नियत मूल्य का 10 प्रतिशत डी.डी / बैकर्स चैक द्वारा जोकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम देय होगा । आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

दिनांक:			
		(आवेदक के हस्ताक्षर)	
		मोबा.क	

लागू विधि के अनुसार मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांकों पर सम्यक रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए

शपथ-पत्र (Affidavit)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों)(Assets) के लिए विहित)

1.	मैं, अभिसाक्षी शपथ पर	निम्नानुस	ार कथन करता/कर	ती हूं कि :-			
	मेरा नाम	:					
	पिता / पति का नाम	:					
	आयु	:					
	मासिक / वार्षिक आय	:					
	पता	:					
2.	यहकि, आवेदन के अंतर	र्गत दी ग	ई समस्त जानकारी र	ाही है तथा कोई	तथ्य छिपाया न	ाहीं गया है।	
3.	यहकि, मैने निबंधन एव	वं शर्ते जि	ासमें नियत दर आधा	र पर प्राधिकरण	की सम्पत्ति व	हे व्ययन के	लिए
	नियम सम्मिलित हैं, भल	गी भांति र	ामझ लिया है और जं	ो कि मुझे पूर्णतः	स्वीकार है।		
4.	यहकि, आवेदन के अंत	ार्गत कोई	जानकारी गलत पाः	ई जाती है, तो प्र	ग्राधिकरण को गं	नेरा आवेदन	रद्द
	करने का अधिकार सुर्रा	क्षेत होगा	I				
5.	यहकि, प्राधिकरण द्वारा	मुझे नि	यत दर पर अथवा रि	केसी विशेष योज	ाना में, किसी	आरक्षित श्रेप	गी के
	अंतर्गत जिसके लिये य	ह आवेदन	न प्रस्तुत किया जा र	हा है, कोई सम्पर्	त्ति पूर्व में आवं	टित नहीं क	गे गई
	है ।,						
6.	यहकि, यह शपथ पत्र	मेरे द्वार	ा ग्वालियर विकास	प्राधिकरण की भ	नाऊ साहेब प	गेतनीस ए	न्क्लेव
	फेस-2 में नियत दर	के अनुर	नार इकाई क्रय हेतु	इसके क्षेत्रफल म	में परिवर्तन के	अधीन रहते	ो हुए,
	प्रस्तुत किया जा रहा है	1					
दिनांक	:					अभिस	ाक्षी
			- 				
	肖		ः सत्यापन			ग्रनागिन	കുപ
ਦਂ <i>/</i> ਨਹ	नती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तु		पिता / पति श्री				
	ता हू कि नर द्वारा प्रस्तु । जानकारी न तो असत्य				•		
		न ६ आर	न इस छिपाया गया	চ जा आज । दग	IΦ	का सत	था।पत
किया ग	।या					_	•
						आंभे	साक्षी

- 1. कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा अनावश्यक हो, उसे शपथ-पत्र में शामिल न करें।
- 2. किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।